न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिकप्रकरण कमांक—6/14</u> <u>संस्थापित दिनांक 08/01/14</u> फाईलिंग नं. 233504000762014

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

----<u>अभियोजन</u>

–: <u>विरुद्ध</u>ः–

केशोराव पिता पंजाबराव साकरे, उम्र 45 वर्ष, जाति कुन्बी, पेशा किसानी, नि0 ग्राम लालावाड़ी, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

---- <u>अभियुक्त</u>

<u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक—28 / 02 / 2017 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग—2 के तहत् अभियोग है कि आपने दिनांक 31/12/13 के 05:45 बजेशाम थाना आमला जिला बैतूल मध्य प्रदेश अंतर्गत दयालु गव्हड़े की दुकान के सामने लोक स्थान पर या उसके समीप फरियादी किसना बागड़े को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया। आपने फरियादी किसना को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। आपने फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31/12/13 को वह दयालु गव्हाड़े की दुकान पर बैठा था कि केशोराव गांव तरफ से आया, पुरानी बात को लेकर माँ बहन की गंदी—गंदी गालियाँ देने लगा, उसने मना किया तो उसे कालर पकड़कर हाथ मुक्के से मारपीट करने लगा, जिससे उसे सिर के पिछे तरफ बांये पैर पिंडली में चोट आकर दर्द हो रहा था एवं दांहिने हाथ की उंगली में भी चोट आई। इसके पहले भी केशोराव साकरे कि रिपोर्ट थाना में कि रिपोर्ट करके जाने के बाद भी उसके साथ माँ बहन की गंदी—गंदी गालियाँ देकर हाथ थप्पड से मारपीट कर चोट पहुँचाई थी एवं दुबारा रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था।
- 3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 1 है। जिसके आधार पर अप०कं0— 2/14 कायम कर अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0वि० धारा—294, 323, 506 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया

गया। विवेचना के दौरान दिनांक 03/01/14 को नक्शा मौका प्र0पी0 2 तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

- 1— ''क्या आपने दिनांक 31/12/13 के 05:45 बजेशाम थाना आमला जिला बैतूल मध्य प्रदेश अंतर्गत दयालु गव्हड़े की दुकान के सामने लोक स्थान पर या उसके समीप फरियादी किसना बागड़े को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया?''
- 2— ''उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी किसना को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?''
- 3— ''उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?''

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :— विचारणीय प्रश्न क0 2 का निराकरण

- 6— अभियोजन साक्षी किसना (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने गाली देने से मना किया तो केशोराव ने उसकी कालर पकड़ कर निचे पटक दिया और उसके पैर के जूते से उसके पैर और सिर पर मारा, उसके दांये हाथ की उंगली पर मारा जिससे उसे चोट आई। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में अस्वीकार किया है कि आरोपी के साथ उसने गाली गलोच की और उसके साथ मारपीट की। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुरानी रंजिश के उपर से आरोपी को फंसाने के लिए उसके खिलाफ झूठी शिकायत की है। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्त केशोराव के द्वारा फरियादी किसना के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की।
- 7— अभियोजन साक्षी चिन्टू (अ०सा०२), अभियोजन साक्षी दयालु (अ०सा०३), अभियोजन साक्षी फुलचंद (अ०सा०४) ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं सूचक प्रश्नों से घटना का समर्थन नहीं किया है।

8— अभियोजन साक्षी डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा०५) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 02/01/14 को उसने किसना का परीक्षण किया था। परीक्षण में निम्न चोट पाई थी। चोट नं० 1 सिर के बांये पीछे तरफ 2 गुना 1 से०मी० की आकार की सूजन पाई गई थी। चोट नं० 2 बांये हथेली पर 2 गुना 1 से०मी० आकार की खरोंच पाई गई थी। उक्त चोटें कडे एवं बोथरे हथियार से 2 से 3 दिन के अंदर पहुँचाई गई थी जो उसकी चोट प्र०पी० 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त चोट के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत नहीं किया गया हैं। मात्र यह सुझाव दिया गया है कि आहत को आई चोट गिरने से आना संभव है। किन्तु उक्त सुझाव फरियादी को नहीं दिया गया है। साथ ही फरियादी किसना के संपूर्ण प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य नहीं लाए गए है कि उसे गिरने से चोट कारित हुई है। इस प्रकार डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा०५) की साक्ष्य के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि फरियादी किसना को जो चोट उसके शरीर में पाई गई, वह चोट अभियुक्त के द्वारा पहुँचाई गई, के तथ्यों की पुष्टि होती है।

अभियोजन साक्षी बिसनसिंह (अ०सा०६) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि 9— दिनांक 02/01/14 को फरियादी कृष्णा रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो उसकी रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आहत का मेडिकल करवाया था जो प्र०पी० 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। फरियादी की निशादेही पर दिनांक 03/01/14 को नक्शा मौका प्र0पी0 2 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं साक्षी फुलचंद, किसना, उमना, गुलाबराव, दयालु, चिन्दू के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया गया। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में अस्वीकार किया है कि उसने एफ0आई0आर0 अपने मन से लेख किया है। आगे यह अस्वीकार किया है कि उसने नक्शा मौका अपने मन लेख किया है। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसने साक्षी किसना, फुलचंद, उमना, गुलाबराव, दयालु, चिन्दू के कथन उसने उसके मन से लेख किया है। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह के द्वारा फरियादी के बताये अनुसार प्र0पी0 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी निशादेही पर घटना नक्शा मौका प्र0पी0 2 तैयार किया गया। गवाहों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा की गई कार्यवाही घटना घटित होने के तथ्यों की पृष्टि करती है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने फरियादी किसना को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 2 का निराकरण ''प्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 1 व 3 का निराकरण

11— अभियोजन साक्षी किसना (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी केशोराव आया और उसे बोला कि तेरी माँ बहन की चोदू। शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगे। किन्तु उक्त गालियाँ प्र०पी० 1 एवं फरियादी किसना के 161 द०प्र०सं० के कथनों में उल्लेख नहीं हैं जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त को फंसाने की मंशा से गालियाँ न्यायालय के समक्ष बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। उक्त गालियाँ बढ़ा चढ़ाकर बताये जाने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा अश्लील गालियाँ दी जिससे उसे

तथा सुनने वाले को क्षोभ कारित हुआ। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

12— अभियोजन साक्षी किसना (अ०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दिया था। लेकिन उक्त गवाह की साक्ष्य से आगे यह प्रगट नहीं है कि उक्त धमकी का प्रभाव फरियादी पर पड़ा हो, इस प्रकार के भी कोई तथ्य नहीं है जिनसे यह प्रगट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा दी गई धमकी वास्तविक थी आपराधिक अभित्रास के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए शाब्दिक धमकी पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार के तथ्य व परिस्थिति प्रकट होने चाहिए जिससे यह आशय निकले की अभियुक्त की धमकी वास्तविक थी और फरियादी उस धमकी से प्रभावित हुआ था और उस धमकी का असर उस पर पड़ा और उसके मन में यह आंशका उत्पन्न हो गई कि अभियुक्त उसकी जान के लिए खतरनाक के लिए कोई आपराधिक कृत्य कर सकता है। इस प्रकार न्यायालय के मत में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से धारा 506 भाग—2 के लिए आवश्यक तथ्य प्रमाणित नहीं होते है। उक्तानुसार विचारणीय प्रश्न कं 3 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

13— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने फरियादी किसना को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी किसना बागड़े को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त केशोराव को भा0द0वि0 की धारा—294 एवं 506 भाग—2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु भा0द0वि0 की धारा 323 का अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्त केशोराव को दोषसिद्ध किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेंणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0

14— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री हिराम चौधरी ने व्यक्त किया कि उसका यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त 45 वर्ष का व्यक्ति है। वह विचारण में लगभग तीन वर्षों से भाग लेते रहा है घर में उसके छोटे—छोटे बच्चे है उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसके जेल जाने से उसकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः अभियुक्त को कारावास से दंडित न करते हुये कम से कम अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री पंकज रघुवंशी के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

15— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी किसना को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की है जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है। अभियुक्त 45 वर्ष का होकर उसके छोटे—छोटे बच्चे है अभियुक्त प्रकरण में लगभग तीन वर्ष से विचारण में भाग लेते रहा है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। अतः अभियुक्त केशोराव को भा0द0वि0 की धारा 323 के अपराध के आरोप में 1000/—(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर दो (दो) माह का साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

16— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अंतर्गत कुल राशि 1000 / —रूपये में से फरियादी किसना को क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि 500 / —रूपये की राशि प्रदान की जावे, शेष राशि राजशात की जावे।

17- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया दिनांकित गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल (म०प्र०) (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)